यह निरीक्षण प्रतिवेदन राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, देहरादून के माह 04/2015 से 11/2016 तक के अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रविन्द्र कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री अरविन्द शर्मा, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं अशोक कुमार, वरि0 लेखा परीक्षक द्वारा दिनॉक 30.12.2016 से 10.01.2017 तक श्री राकेश कुमार, व0 लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–1

1. (अ) परिचयात्मक : इस इकाई की विगत लेखा परीक्षा श्री विनीत निगम, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं श्री प्रमोद चौधरी, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 27.08.2015 से 09.09.15 तक श्री प्रेमचन्द्र, लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2011 से 03/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखा परीक्षा में माह 04/2015 से 11/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः–

(ii) (अ) विगत तीन वर्षो में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि रू0 लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष			सामान्य		पूंजीगत	
	सामान्य	पूंजीगत (अग्रिम)	योग	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
2013–14	1428.08	1543.20	2971.28	34264.83	32518.44	5202.46	2925.12
2014–15	3877.38	2277.34	6154.72	38054.5	35028.04	1766.82	1790.86
2015–16	7260.84	2259.35	9520.19	29862.19	36449.07	1395.41	3156.99

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण।

(धनराशि रू0 लाख में)

वर्ष	योजना	प्रा0 अवशेष			प्राप्त			व्यय	अवशेष
		बैंक से	अग्रिम	कुल	केन्दांश व राज्यांश	ब्याज व अन्य	कुल		
2013–14	सर्व शिक्षा	1428.08	1543.20	2971.28	3724.09	702.91	38627.00	35443.57	6154.72
2014–15	सर्व शिक्षा	3877.38	2277.34	6154.72	39821.32	363.06	40184.38	36818.90	9520.19
2015–16	सर्व शिक्षा	7260.84	2259.35	9520.19	31258.31	621.35	31879.66	39659.12	1740.73

(iii) इकाई को बजट आबंटन केन्द्रांश एवं राज्यांश मद के द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, देहरादून अ श्रेणी की है।

(iv) लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखा परीक्षा विधिः लेखा परीक्षा में राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, देहरादून को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, देहरादून की लेखा परीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है। माह 12/2013, 08/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। निर्माण सम्बन्धी कोई कार्य नहीं किया गया।

(v) लेखा परीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग **- III**

1. विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संख्या	भाग दो–अ	भाग दो–ब	**STAN**
44 / 2011–12(ए0बी0)	–	1, 2	–
93 / 2015–16	–	1, 2	1, 2

2. विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

भाग **- IV**

इकाई के सर्वोत्म कार्यः– – शून्य–

प्रस्तर-1–रू0 639.87 लाख का समायोजन प्रमाण–पत्र प्राप्त किये बगैर ही रू0 27767.53 लाख को अवमुक्त किया जाना।

सर्व शिक्षा अभियान, नियमावली 2010 के बिन्दु संख्या 77.1 में यह उल्लेख किया गया है कि "The next highter authority above the authority who released the advances will strictly monitor the progress of adjustment of advances and take remedial measures required for the speedy adjustment of advances within the time limit prescribed above." और बिन्दु सं0 75.3 के अनुसार "In case the utilisation certificate/ expenditure statement not received within the prescribed time limit, further advances shall not be made".

इकाई की बैलेन्स शीट माह/दिनांक 31 मार्च 2016 का अवलोकन करने पर पाया गया कि विभिन्न जिलों में वर्ष 2010–11 में ग्राम निधियों को जारी की गयी धनराशि में से रू0 161.47 लाख मूल्य की धनराशि एवं वर्ष 2011–12 में स्कूल मैनेजमेन्ट कमेटी को जारी की गयी धनराशि में से रू0 207.84 लाख की धनराशि माह मार्च 2016 तक असमायोजित थी। जबकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक माह पश्चात तक उक्त धनराशियों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र/व्यय विवरण प्राप्त किया जाना आवश्यक होता है। वर्ष 2015–16 में दो जिलों (हरिद्वार एवं पिथौरागढ़) को स्कूल मैनेजमेन्ट कमेटी में निर्गत की गयी कुल रू0 270.55 लाख मूल्य की धनराशि असमायोजित थी। इस प्रकार मार्च 2016 तक विभिन्न जिलों में कुल रू0 639.87 लाख की धनराशि असमायोजित पड़ी थी। आगे यह भी पाया गया कि पूर्व में जारी किये गये अग्रिमों का समायोजन प्रमाण–पत्र प्राप्त किये बगैर ही वर्ष 2016–17 में रू0 27767.53 लाख की अग्रिम धनराशि विभिन्न जिलों को निर्गत की गयी। विवरण निम्नवत है।

(Rs. in Lakh)

Name of District	Advance				Relesed advance in 2016-17
	Gram Nidhis	SMCs Upto 14-15	SMCs For 15-16	Total	
Almora	55.36	-	-	55.36	2355.21
Bageswar	3.40	-	-	3.40	1378.04
Chamoli	-	18.73	-	18.73	2688.53
Champawat	-	-	-	-	1326.85
Dehradun	-	58.57	-	58.57	2848.42
Haridwar	54.72	-	87.67	142.39	2598.13
Nainital	8.78	59.67	-	68.45	1842.69
Pauri	17.35	7.10	-	24.45	1700.66
Pithoragrah	-	-	182.88	182.88	2331.85
Rudraprayag	6.53	16.55	-	23.08	1459.41
Tehri	5.00	15.56	-	20.56	2614.71
US Nagar	9.08	31.64	-	40.72	2833.79
Uttarkashi	1.24	-	-	1.24	1789.24
Total	**161.47**	**207.84**	**270.55**	**639.87**	**27767.53**

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि उक्त धनराशि अग्रिम न होकर जनपदों के अनुमादित बजट के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि है, जिसमें प्रबन्धन, शिक्षक, बी0आर0सी0, सी0आर0सी0 आदि वेतन मद भी है। उपभोग प्रमाण पत्र जिला परियोजना कार्यालय में उपलब्ध होते हैं, जनपद एम0एम0आर0 के माध्यम से राज्य परियोजना कार्यालय को प्रत्येक माह की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति से अवगत कराता है। धनराशि रू0 27767.53 लाख 13 जनपदों को वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में अनुमादित व्ययों हेतु अवमुक्त की गयी। जनपदों द्वारा अवमुक्त धनराशि में से माह नवम्बर 2016 तक धनराशि रू0 27617.84 लाख का व्यय किया जा चुका है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निर्देशिका के अनुसार प्रबन्धन, शिक्षक, बी0आर0सी0, सी0आर0सी0 आदि वेतन मद के रूप में अनुमोदित बजट के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि के उपयोगित प्रमाण–पत्रों को भी प्रत्येक तिमाही/वर्ष की समाप्ति के एक माह के भीतर प्राप्त किया जाना आवश्यक होता है। उनके उपयोगिता प्रमाण–पत्रों को जिला परियोजना कार्यालय से प्राप्त किया जाना चाहिए जोकि नहीं किया गया। इकाई द्वारा यह कहा जाना कि माह नवम्बर 2016 तक रू0 27617.84 लाख का व्यय किया जा चुका है मान्य नहीं है क्योंकि इस सम्बन्ध में राज्य परियोजना कार्यालयों से प्राप्त किये गये उपयोगिता प्रमाण–पत्र की कोई भी प्रति साक्ष्य के रूप में लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गयी।

अतः रू0 639.87 लाख का समायोजन प्रमाण–पत्र प्राप्त किये बगैर ही रू0 27767.53 लाख को अवमुक्त किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर -2–सिविल कार्यो हेतु रू0 11797.34 लाख की धनराशि मौजूद होने के बावजूद भी वर्ष 2003 से **वर्तमान में** लम्बित कुल 4337 कार्यो को प्रारम्भ न किया जाना।

सर्व शिक्षा अभियान, नियमावली 2010 के बिन्दु संख्या 77 में निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान को, जारी की गयी धनराशियों के अनुश्रवण हेतु अधिकार प्रदान किया गया है। सिविल कार्य के अनुश्रवण हेतु राज्य स्तर पर निम्न प्रकार से व्यवस्था की गयी है।

" At state level separate wing is established for civil work. Wing is headed by Executive Engineer and for technical assistance post of Assistant Engineer and Junior Engineer is created. State Project office organises review meeting with district official and technical persons to monitor progess of civil works and during field visit of SPOs official's physical verification is also done".

इकाई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि पुराने वर्षो से लेकर नवम्बर 2016 तक कुल 76511 सिविल कार्य का लक्ष्य रखा गया था जिसमें 70540 कार्य पूर्ण हो चुके थे एवं 1634 कार्यो पर कार्य जारी था, साथ ही 4337 कार्य अभी तक प्रारम्भ ही नहीं किये जा सके थे। उक्त कार्य कितने वर्षो से लम्बित है इसकी सूचना इकाई के पास उपलब्ध नहीं है, जबकि रू0 11797.34 लाख (80818.25–69020.91) की धनराशि सिविल कार्यो हेतु शेष बची हुई है। विवरण निम्नवत है।

S.N	Target	Under const.	Complete	Not Start	Fin	Exp.
1	76511	1634	70540	4337	80818.25	69020.91

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि वर्ष 2012–13 से अद्यतन भारत सरकार से कुल स्वीकृत बजट के सापेक्ष केवल 40 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की गयी है इसलिए धनराशि उपलब्ध नहीं है, जिससे निर्माण कार्य अधिकांशतः अनारम्भ हैं।

विभाग द्वारा यह कहा जाना कि वर्ष 2012–13 से भारत सरकार द्वारा स्वीकृत बजट के सापेक्ष केवल 40 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की गयी है मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा उपलब्ध करायी गयी अनारम्भ कार्यों की सूची के अनुसार वर्ष 2012–13 से पूर्व के कुल 497 कार्य जोकि वर्ष 2003 से अनारम्भ थे, जोकि आतिथि तक प्रारम्भ ही नहीं किये गये, जबकि उक्त वर्षो में केन्द्र सरकार द्वारा पूरी राशि अवमुक्त की गयी थी। अतः वर्ष 2012–13 से पूर्व वर्षो में जबकि केन्द्र सरकार द्वारा पूर्ण राशि अवमुक्त की गयी थी इसके बावजूद विभाग की उदासीनता के कारण उक्त कार्यों को प्रारम्भ ही नहीं किया गया। साथ ही सिविल कार्यों हेतु बची राशि को व्यय नहीं किया गया।

अतः सिविल कार्यो हेतु रू0 11797.34 लाख की राशि मौजूद होने के बावजूद भी वर्ष 2003 से **वर्तमान तक** लम्बित कुल 4337 कार्यो को प्रारम्भ न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर**–** 3-रू0 0.81 लाख की सामाग्रियों का अनियमित क्रय किया जाना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अध्याय 2 के बिन्दु सं0 10 (2) के अनुसार दर संविदाएं सामान्यतः एक समय में एक वर्ष के लिए किये जाने का प्रावधान है एवं कम से कम तीन वैध निविदा प्राप्त होना आवश्यक है।

इकाई के स्टेशनरी से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि वर्ष 2016–17 हेतु लेखन तथा कम्प्यूटर सामाग्री आपूर्ति किये जाने हेतु पृथक–पृथक से निविदा आमंत्रण हेतु पात्र एवं प्रतिष्ठित आपूर्तिकर्ता एजेन्सी/फर्मो से निविदायें आमंत्रित की गयी थी (दिनांक 22.08.16)। उक्त के अनुक्रम में तीन फर्मो (मेघा ईण्टरप्राइस, शगुन ईण्टरप्राइस, एवं वन्दना सेल्स कारर्पोरेशन) ने लेखन सामाग्री की आपूर्ति हेतु अपनी दरें प्रस्तुत की, कम्प्यूटर सामाग्री की आपूर्ति हेतु सम्बन्धित फर्मों के लिफाफो में कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं पाये गये एवं सम्बन्धित फर्मो द्वारा उक्त के सम्बन्ध में कोई दर भी प्रस्तुत नहीं की गयी। ऐसे में कम्प्यूटर सामाग्री के क्रय के सम्बन्ध में पुनः निविदा आमंत्रित किया जाना आवश्यक था, जबकि इकाई द्वारा कम्प्यूटर सामाग्रियों के क्रय के सम्बन्ध में पुनः निविदा आमंत्रित किये बगैर वर्ष 2016–17 में दिसम्बर 2016 तक रू0 80,768 मूल्य की कम्प्यूटर सामाग्रियों का क्रय सीधे विभिन्न फर्मो से किया गया। इस सम्बन्ध में इकाई द्वारा ना ही कोई कोटेशन ही प्राप्त किया गया एवं ना ही कोई बाजार सर्वेक्षण ही किया गया।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि कार्यालय की अति आवश्यक्ता को देखते हुए पुनः निविदा आमंत्रित नहीं की गयी। भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं होगी।

विभाग के उत्तर से स्पष्ट है कि इकाई द्वारा अधिप्राप्ति नियमों के विपरीत उक्त लेखन तथा कम्प्यूटर सामाग्रियों का क्रय किया गया साथ ही विभाग ने भविष्य में पुनरावृत्ति न होने का आश्वासन भी दिया।

अतः रू0 0.81 लाख की सामाग्रियों का अनियमित क्रय किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(i)

(ii) –शून्य–

(iii)

2. सतत् अनियमितताऐंः

(i) –शून्य–

3. लेखा परीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1	श्री डी0 सैन्थिल पाण्डियन	राज्य परियोजना निदेशक	01.04.15 से 02.08.16
2	श्रीमती रंजना	राज्य परियोजना निदेशक	05.08.16 से 06.12.16
3	श्री दीपेन्द्र कुमार चौधरी	राज्य परियोजना निदेशक	09.12.16 से लगातार

लघु एवं प्रकियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, देहरादून को इस आशय से प्रषित कर दी जायेगी की अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उपमहालेखाकार सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाय।

व0 लेखापरीक्षा अधिकारी
सामाजिक क्षेत्र